



UPM0280026952022

**न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।**

पीठासीन अधिकारी- सर्वेश कुमार मिश्र (उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा- 2073)

वाद संख्या 1908/2022

सरकार

बनाम

कासम।

अ०सं० 154/2022

धारा-145/147/153 रेल अधिनियम।

थाना आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर

थाना आर.पी.एफ. पोस्ट हापुड़

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त कासम न्यायालय के समक्ष उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वह स्वेच्छापूर्वक जुर्म इकबाल कर रहा है। प्रार्थी बहुत ही गरीब व्यक्ति है। वह प्रस्तुत प्रकरण को आगे चलाने में असमर्थ है। प्रार्थी को कम से कम जुर्माने से दंडित कर उसका मुकदमा समाप्त करने कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त का जुर्म इकबाल बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कम से कम जुर्माने से दंडित कर उपरोक्त वाद को समाप्त किए जाने की याचना की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त कासम को अपराध संख्या 154/2022 धारा-145/147/153 रेल अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। पत्रावली दंड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक 05.05.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

JO CODE UP2073

दिनांक 05.05.2026

पत्रावली लंच पश्चात दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की ओर से कथन गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वह प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में रह चुका है। इन अभिकथनों के साथ अभियुक्त को न्यूनतम दंड से दंडित किए जाने की याचना की गयी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा-145/147/153 रेल अधिनियम का अपराध साबित होता है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। वह प्रस्तुत मामले को आगे चलाने में असमर्थ है। वह प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में लगभग **12 दिन** जेल में रह चुका है। अतः प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति, अभियुक्त की सामाजिक व आर्थिक को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा-145/147/153 रेल अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए निम्नलिखित दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अभियुक्त **कासम** को मुकदमा अपराध संख्या-154/2022 अंतर्गत धारा-145/147/153 रेल अधिनियम थाना आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर के प्रकरण में दोषी पाते हुए अभियुक्त को धारा -153 रेल अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास से दंडित किया जाता है।

वहीं अभियुक्त को धारा 145 रेल अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास तथा 100/-रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 01 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

वहीं अभियुक्त को धारा 147 रेल अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास तथा 500/-रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 05 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

पत्रावली को नियमानुसार दाखिल दफ्तर किया जावे।

दिनांक 05.05.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

JO CODE UP2073

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 05.05.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

JO CODE UP2073

आशुलिपिक-हरगोविन्द सिंह।

हस्ताक्षर-